

भारत सरकार
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल नई दिल्ली में “कनिष्ठ अनुवादक” के लिए भर्ती नियमों के मसौदे पर सार्वजनिक सूचना

कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग-डीओपीटी के दिनांक 13.10.2015 के का.ज्ञा. सं. एबी. 14017/61/2008-स्थापना (आरआर) के अनुपालन में, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल नई दिल्ली में “कनिष्ठ अनुवादक” के पद के लिए भर्ती नियम संलग्न है।

भर्ती नियमों के मसौदे पर कोई भी आपत्तिधारक इच्छुक टिप्पणियाँ अथवा सुझाव देने के लिए टिप्प/भर्ती नियमों के मसौदे के प्रकाशन की तिथि से 30 दिनों की अवधि के भीतर अनुभाग अधिकारी (एम.एच.-II) कमरा सं 405 ए, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, निर्माण भवन, मौलाना आजाद रोड, नई दिल्ली-110108 को लिखित रूप में भेज सकते हैं या medicalhospital61@gmail.com पर ईमेल - कर सकते हैं।

ग्रा. सामंत
(जी.पी. सामंत)

अवर सचिव, भारत सरकार

दूरभाष-011 : 23061521

नई दिल्ली
दिनांक :

(भारत के राजपत्र, भाग II, खण्ड-3, उपर्युक्त (i) में प्रकाशनाथ)

भारत सरकार

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

नई दिल्ली, तारीख :

2020

अधिसूचना

रा का.नि राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल, नई दिल्ली (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 1981 को, जहा तक उनका सबध लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल में कनिष्ठ हिंदी अनुवादक के पद से है, उन बातों के सिवाय अधिकांत करते हुए, जिन्हे ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल, नई दिल्ली में कनिष्ठ अनुवादक के पद पर भर्ती की पदधति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् -

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ: (1) इन नियमों का नाम कनिष्ठ अनुवादक, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल, नई दिल्ली, भर्ती नियम, 2020 है।
(2) ये सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत होंगे।
2. पद की संख्या, वर्गीकरण, वेतन मैट्रिक्स में स्तर - उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा जो इस नियम से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ(2) से स्तंभ(4) में विनिर्दिष्ट है।
3. भर्ती की पदधति, आयु सीमा, अहंताएं, इत्यादि - भर्ती की पदधति, आयु सीमा, अहंताएं और उससे सबधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।
4. निरहंता वह व्यक्ति -
(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित हैं, विवाह किया है या विवाह की सविदा की है; या
(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की सविदा की है।

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा;

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य घक्कार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवतन से छूट दे सकता है।

6. शिथिल करने की शक्ति: जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण है, उन्हे लेखबद्ध करके और संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकती।
7. व्यावृत्ति: इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सेनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन में रस्तर या वेतनमान	वेतन में चयन पद अथवा अचयन	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा पद
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कनिष्ठ अनुवादक (2020)	2*	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख', भ्राजपत्रित.	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 6 (35400- 112400 रुपये)	लागू नहीं होता (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदर्शों और आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पांच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।)	30 वर्ष से अधिक नहीं (टिप्पणः आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख कर्मचारी चयन आयोग द्वारा विज्ञापित की जाएगी।

*कार्यभार के अनन्त सीधीय आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।

या

किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से हिन्दी या अंग्रेजी से छिन्न किसी विषय में मास्टर डिग्री जिसमें डिग्री स्तर पर हिन्दी और अंग्रेजी अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में रहा हो या इनमें से एक परीक्षा के माध्यम के रूप में रहा हो और दूसरा अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में रहा हो।

और

हिन्दी से अंग्रेजी और विलोमतः अनुवाद का मान्यताप्राप्त डिप्लोमा या प्रपाण-पञ्च यांत्रिकम्, या केंद्र अथवा राज्य सरकार में, जिसमें भारत सरकार के उपकाम शामिल हैं, हिन्दी से अंग्रेजी और विलोमतः अनुवाद कार्य का दो वर्ष का अनुभव

टिप्पण 1: अहंतारं अन्यथा सुअहिंत अभ्यर्थियों की दशा में कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार, कारणों को लेखबद्ध करते हुए शिथिल की जा सकती हैं।

टिप्पण 2: अनुभव संबधी अहंतारं, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार कारणों को लेखबद्ध करते हुए तब शिथिल की जा सकती हैं, जब चयन के किसी प्रकार पर कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी की यह राय हो कि आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है।

टिप्पण : प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पण तर्बे से अधिक नहीं होगी।

(7)

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अहंताएं

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अवधि, यादि आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भर्ती जाने वाली व्यक्तियों की पत्तिशतता
लागू होंगी या नहीं

(7)

किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से हिंदी में मास्टर डिग्री के साथ डिग्री स्तर पर अंग्रेजी अनिवार्य या ऐकल्पिक विषय के रूप में रहा हो या परीक्षा के माध्यम के रूप में रहा हो

(8)

लागू नहीं होता।

(9)

दो रब्बे

(10)

सीधी भर्ती द्वारा।

किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अंग्रेजी में मास्टर डिग्री के साथ डिग्री स्तर पर हिंदी अनिवार्य या ऐकल्पिक विषय के रूप में रहा हो या परीक्षा के माध्यम के रूप में रहा हो

या

अंग्रेजी स्तर पर हिंदी अनिवार्य या ऐकल्पिक विषय के रूप में रहा हो या परीक्षा के माध्यम के रूप में रहा हो

किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से हिंदी में मास्टर डिग्री के साथ डिग्री स्तर पर हिंदी अनिवार्य या ऐकल्पिक विषय के रूप में रहा हो या परीक्षा के माध्यम के रूप में रहा हो

या

अंग्रेजी स्तर पर हिंदी अनिवार्य या ऐकल्पिक विषय के रूप में रहा हो या परीक्षा के माध्यम के रूप में रहा हो

(i) जो मूल स्वर्गी या विभाग में नियमित आधार पर सदर्शा पद धारण किये हुए हैं, और

(ii) जो स्तरम् (7) के अधीन सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित शैक्षिक अहंताएं और अनुभव रखते हैं।

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियाँ जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा

(11)

लागू नहीं होता

भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा

(12)

समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति(पुङ्डि) पर विचार करने के लिए

संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।

जाएगा

(13)

समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति(पुङ्डि) पर विचार करने के लिए

संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।

1. उप प्रधानाधार्य, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज
2. स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय में चिकित्सा शिक्षा अनुआग के प्रभारी उप निदेशक प्रशासन
3. उपनिदेशक, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज तथा श्रीमती मुचेता कृपलानी अस्पताल, नई दिल्ली
4. सहायक निदेशक (राजभाषा), लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज - सदस्य

(ए. 11018/26/2017-एमएच ॥)

(जी पी सामंत)
अवर मचिव, भारत सरकार